

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

इस कार्यालय के सेवानिवृत्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 03.01.2020 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-

क्रम	आदेश में क्रम संख्या	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मदिनांक	आंशिक संशोधित	जिला
1	3	4	5	6	7	8	
1	323	PREM CHAND	G S S S BAMANWAS-KHANDELA- SIKAR	COMM	28/12/1960	विद्यालय राउमावि बामनवार के स्थान पर राउमावि बामनवास, तथा जन्मदिनांक 07.01.1960 के स्थान पर जन्म दिनांक 28.12.2020 तदनुसार सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2020 संशोधित	SIKAR

आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेंगी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 31/08/2020

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2020-21

प्रतिलिपि-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
- 4 सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।

सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है,

- 6 का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।

7 सम्बन्धित व्याख्याता

8 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
आदेश



(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

इस कार्यालय के सेवानिवृत्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 13.02.19 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-

क्रम	नाम व्याख्याता श्री/श्रीमती/सुश्री	पद एवं पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	संशोधन
01	महाबीर सिंह	व्याख्याता-वाणिज्य परसरामपुरा -नवलगढ- झुंझुनूं	क्रम संख्या 257 कॉलम संख्या 02 पर नाम महावीर सिंह के स्थान पर महाबीर सिंह संशोधित पढा जावें।

आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/19-20
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक- 31/08/2020

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-माध्यमिक,
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)स्कूल शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित संस्था/प्रधानाचार्य/सम्बन्धित व्याख्याता
- 7 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर